छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर

द्वितीय तल, हरिभूमि प्रेस परिसर, धमतरी रोड,
टिकरापारा, रायपुर (छ0ग0)– 492 001

अनुपयोगी थब्बा कागज (White Layer) के विक्रय हेतु निविदा

(वर्ष 2011–12)

निविदा विक्रय की अंतिम तिथि व समय	–	दिनॉक 12.09.2011 को 2.00 बजे तक ।
निविदा जमा करने की तिथि व समय	–	दिनॉक 12.09.2011 को 3.00 बजे तक ।
निविदा खोलने की तिथि व समय	–	दिनॉक 12.09.2011 को 4.00 बजे तक ।

महाप्रबंधक
छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम,
रायपुर

मूल्य – 1,000/– (एक हजार रूपये मात्र)

छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर

द्वितीय तल, हरिभूमि प्रेस परिसर, धमतरी रोड, टिकारापारा, रायपुर (छ0ग0)– 492 001
फोन + 91 – 771 –4019338, टेलीफैक्स + 91 – 771 – 4019339, 2433327

(निविदाकार द्वारा भरा जावे)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम,
रायपुर, छ0ग0 ।

विषय – अनुपयोगी थब्बा कागज (White Layer) के विक्रय हेतु निविदा (ऑफर)।

मैं (फर्म का नाम) .... निगम द्वारा अनुपयोगी थब्बा कागज (White Layer) के विक्रय हेतु जारी निविदा की समस्त शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर समझ लिया है तथा शर्तों को स्वीकार करते हुए थब्बा कागज (White Layer) की समस्त मात्रा को खरीदने के लिए अपना एकजाई आफर प्रस्तुत कर रहा हूं –

क्रमांक	ऑफर दरें (रूपये प्रति मी0 टन) अंकों में	ऑफर दरें (रूपये प्रति मी0 टन) शब्दों में
1		

हस्ताक्षर
(फर्म की सील)

निविदाकर्ता का नाम ....

पत्र व्यवहार का पूरा पता ....

टेलीफोन/मोबाईल नम्बर ....

....

नोट –

01. ओवर राईटिंगध्काट–छांट की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी ।
02. प्रस्तुत दरें निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 03 माह तक मान्य होगी ।
03. निविदा शर्त क्रमांक 10 अनुसार करों/टैक्स आदि को दरों में शामिल न करें ।
04. ऑफर दरें रूपये प्रति मी0 टन में दर्शित की जावे ।
05. निविदाकार को विक्रय कर/वाणिज्य कर तथा अन्य प्रचलित करों का भुगतान नियमानुसार अलग से कराना होगा ।

<u>निविदा की नियम एवं शर्तें</u>

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के गोंदवारा, रायपुर स्थित कागज भंडार में लगभग 30.540 मी0 टन (तीस दशमलव पांच, चार, शून्य मी0 टन) अनुयोगी थब्बा कागज (**White Layer**) रखी हुई है जिसका विक्रय निम्नानुसार निविदा शर्तों के अन्तर्गत किया जाना है –

नोट – उपरोक्त वजन में कमी अथवा बढ़ोत्तरी संभावित है ।

<u>निविदा की नियम एवं शर्तें –</u>

1. निविदा निगम से क्रय किए गए निर्धारित मूल प्रपत्र पर ही प्रस्तुत करना होगा ।
2. अनुयोगी थब्बा कागज की एक ही दरें दी जा सकती हैं । दरें प्रति मी0 टन में उल्लेखित किया जाना आवश्यक होगा । प्रस्तुत दरों को मान्य अथवा अमान्य करने का पूर्ण अधिकार निगम प्रशासन को होगा । निगम प्रशासन का निर्णय मान्य करने के लिए निविदाकार बाध्य होगा । निविदा में प्राप्त अधिकतम दर को अनुयोगी थब्बा कागज के विक्रय के लिए निगम द्वारा निविदा दर घोषित किया जायेगा ।
3. निविदाकर्ता निविदा भरने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रस्तुत **दर रूपये 12,000.00 (रूपये बारह हजार मात्र) प्रति मी0 टन** से कम न हों । अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी ।
4. निगम द्वारा घोषित/स्वीकृत दर पर अन्य निविदाकारों से थब्बा कागज क्रय करने के लिए सहमति लिया जा सकेगा ।
5. निगम स्वीकृत दर पर एक से अधिक निविदाकारों को आदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा । अनुयोगी थब्बा कागज की दरें अंकों में एवं शब्दों में उल्लेखित करना आवश्यक है । यदि अंकों एवं शब्दों में उल्लेखित दरों में भिन्नता पाई जाती है तो उल्लेखित अधिक दर को मान्य किया जायेगा । ओवर राईटिंग, अस्पष्ट अथवा काट–छांट की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी । प्रस्तुत दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 03 माह तक मान्य होगी ।
6. **निविदा के साथ अमानत (ईएमडी) राशि रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि ''प्रबंध संचालक, छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर'' के नाम देय हो, संलग्न करना होगा ।** जिस निविदाकार की दरें स्वीकृत होगी उनकी ईएमडी को रोक कर शेष निविदाकारों की ईएमडी को यथासंभव निविदा खुलने के 15 दिवस के पश्चात् वापस कर दी जायेगी । जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
7. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को सूचना प्राप्ति दिनांक से **15 दिवस के अंदर अनुबंध** निष्पादित करना अनिवार्य होगा, जिसका संपूर्ण व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा । सफल निविदाकार को **अनुबंध के समय राशि 01 लाख (रूपये एक लाख मात्र) प्रतिभूति के रूप में तथा अनुयोगी थब्बा कागज के विक्रय हेतु आदेश में दी गई मात्रा की 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निगम कार्यालय में जमा कराना होगा ।** सफल निविदाकार द्वारा लिखित निवेदन करने पर ईएमडी को इसमें

समायोजित किया जा सकता है । दरें स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित समयावधि (एक सप्ताह) में अनुबंध, प्रतिभूति राशि एवं रद्दी क्रय की अग्रिम धनराशि जमा नहीं कराने की दशा में ईएमडी राशि राजसात कर अन्य निविदाकारों को थब्बा कागज विक्रय की कार्यवाही की जा सकेगी ।

8. अनुबंध दिनांक से **तीस दिवस** के अंदर निविदाकार को केंद्रीय कागज भंडार, गोंदवारा रायपुर में उपलब्ध संपूर्ण अनुयोगी थब्बा कागज (White Layer) **को "जहां है जैसी है"** की स्थिति में अपने स्वयं के व्यय पर उठाकर परिवहन करना होगा । केंद्रीय कागज भंडार से अनुयोगी थब्बा कागज (White Layer) उठाने पर उस कागज का पूरा मूल्य (प्रचलित समस्त करों सहित) अग्रिम जमा करने पर ही कागज उठाई जा सकेगी । अग्रिम में जमा कराई गई राशि के अन्तर्गत ही अनुयोगी थब्बा कागज (White Layer) का वास्तविक वजन कराकर केंद्रीय कागज भंडार रायपुर से कागज प्रदाय की जायेगी । निर्धारित समयावधि में पूरा थब्बा कागज नहीं उठाने की स्थिति में प्रतिदिन रूपये **1,000.00 (अक्षरी–एक हजार रूपये मात्र)** के मान से शास्ति आरोपित की जा सकेगी अथवा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी ।

9. स्वीकृत निविदाकार को थब्बा कागज छांटने नहीं दिया जायेगा । निविदाकार को हैसियन क्लॉथ अथवा अन्य कोई भी पैकिंग सामग्री आदि निगम द्वारा प्रदाय नहीं की जावेगी । निविदाकार को उपरोक्त वर्णित थब्बा कागज के लोडिंग का व्यय भी स्वयं वहन करना होगा ।

10. यदि सफल निविदाकार स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित समयावधि में अनुबंध निष्पादित नहीं करता है, या अनुबंध के पश्चात् समय–सीमा में थब्बा कागज की कीमत जमा करने एवं थब्बा कागज उठाने में असमर्थ रहता है या निविदा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो उक्त स्थिति में ईएमडी एवं प्रतिभूति के रूप में जमा पूर्ण राशि या उसका ऐसा अंश, जिसे कि प्रबंध संचालक निर्धारित करेंगे, जब्त कर ली जायेगी ।

11. केंद्रीय कागज भंडार में रखे थब्बा कागज, अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत उठाने के बाद ही प्रतिभूति की राशि वापस की जावेगी । निविदाकार द्वारा निगम में जमा राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

12. निविदाकार को विक्रयकर/वाणिज्य कर तथा समय–समय पर प्रचलित अन्य कर, नियमानुसार अलग से देना होगा । प्रस्तावित दरों में इसका समावेश नहीं माना जावेगा ।

13. निविदा प्रेषित/प्रस्तुत करते समय लिफाफे के ऊपर "**अनुपयोगी थब्बा कागज (White Layer) के विक्रय हेतु निविदा**" अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । निविदा सीलबंद लिफाफे में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

14. **अनुपयोगी थब्बा कागज के लिए केवल ऐसे ठेकेदारों से निविदायें स्वीकार की जावेगी जिनके द्वारा पल्प बनाने के लिए कागज मिल को थब्बा कागज प्रदाय किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र/दस्तावेज निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा । <u>साथ ही यह Undertaking भी दिया जाना आवश्यक होगा कि उपरोक्त थब्बा कागज को पल्प बनाने के लिये कागज मिलों को प्रदाय किया जायेगा । इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से इसका उपयोग नहीं किया जावेगा ।</u> थब्बा कागज के अन्य उपयोग की स्थिति पाई जाने पर निविदाकार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार निगम को होगा । थब्बा कागज उठाने के 10 दिवसों में थब्बा कागज का उपयोग पल्प बनाने में की गई है, संबंधी कागज मिल का प्रमाण–पत्र निगम में प्रस्तुत करना होगा । निविदाकार का कागज मिल या अन्य किसी पार्टी से विवाद की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा ।**

15. निगम हित में निगम प्रशासन द्वारा वैध निविदाकारों से प्रस्तावित दरों में निगोशियेशन भी किया जा सकेगा ।

16. निविदा को खोलने अथवा नहीं खोलने का संपूर्ण अधिकार निविदा समिति को होगा । किसी भी निविदा को मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार इस समिति को होगा, जिस हेतु कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा । विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रबंध संचालक, छ0ग0पा0पु0नि0, रायपुर का निर्णय अंतिम होगा, जो निविदाकार को मान्य होगा । अनुबंध के पश्चात् विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उक्त विवाद के निराकरण हेतु सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को आर्बीटेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट, 1996 के अन्तर्गत रेफर किया जायेगा । जिसका निराकरण या तो वह स्वयं अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा किया जावेगा ।

17. यदि इस निविदा के विरूद्ध कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त का क्षेत्राधिकार माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर का होगा ।

18. निविदा का प्रेषण इस बात का प्रमाण समझा जावेगा कि निविदाकार को निविदा संबंधी सभी शर्तें एवं नियम मान्य हैं । काउंटर टर्म्स अथवा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा ।

19. निविदा में उल्लेखित किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी ।

20. निविदा खोलते समय निविदाकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि की उपस्थिति ही मान्य होगी ।

महाप्रबंधक
छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम,
रायपुर